

एनएचबी (एनडी)/आरओडी/पुनर्वित्त परिपत्र संख्या 3/2024

01 जनवरी 2024

सभी पात्र प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाएँ

मैडम / सर,

नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत रियायतें

उदारीकृत पुनर्वित्त योजना (एलएफएस) के तहत रियायत को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

	रियायत	लागू रियायत	एनएचबी कॉर्पस के तहत लागू रियायत श्रेणियों (₹ करोड़)
A	ग्रामीण ऋण	10 bps	कोई सीमा नहीं
	₹ 10 लाख तक के ऋण	10 bps	
	महिलाओं को ऋण	10 bps	
	तीसरे लिंग/विकलांग/दिव्यांगों को ऋण	10 bps	
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण	15 bps	
B	हरित आवास के लिए ऋण	25 bps	1,182.00
C	नीति आयोग द्वारा परिचालित आकांक्षी जिले	25 bps	722.00
D	पहाड़ी राज्य यानि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड	50 bps	1,500.00
	उत्तर-पूर्वी राज्य		
	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख		

टिप्पणियाँ:

- एक समय में केवल एक ही रियायत मिलेगी
- महिलाओं को ऋण के मामले में रियायत वहीं मिलेगी जहां महिला वित्तपोषित संपत्ति की मालिक/सह-मालिक है
- तीसरे लिंग, विकलांग या अलग तरह से सक्षम व्यक्तियों को ऋण के मामले में, रियायत तभी उपलब्ध होगी जहां लाभार्थी वित्तपोषित संपत्ति का मालिक/सह-मालिक है।
- ग्रीन हाउसिंग के लिए ऋण के मामले में, ग्रीन रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रमाणित ऋण के लिए रियायत उपलब्ध होगी। गृह, आईजीबीसी आदि (4 या उससे ऊपर स्टार/प्लैटिनम या गोल्ड स्टार)
- पुनर्वित्त दरों में यह विशेष छूट कॉर्पस की उपलब्धता (जहां भी लागू हो) या 31.03.2025, जो भी पहले हो, तक उपलब्ध है।

आपका विश्वासी,

सौरव सील
(सौरव सील)
महाप्रबंधक